To Extend the Masudpur Distributary

234. Shri Ram Kumar Gautam, M.L.A.: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend, widen and strengthen the Masudpur distributary?

Sh. Manohar Lal, Hon'ble Chief Minister, Haryana

Sir, at present there is a proposal to extend the Masudpur Distributary from RD 63350 to RD 84000. Regarding widening and strengthening of existing section, it is brought out that the existing section of Masudpur Distributary from RD 0-63350 can take the increased discharge of extension, but being more than 40 years old, its rehabilitation/remodeling is required.

Additional Information Unstarred Assembly Question No. 234

The Masudpur Disty. from RD 0 to 101470 off take from 235768-R Hansi Branch (Yamuna System) was lined during the year 1978-1979 with discharge as 118 Cs. and GA/CCA as 29785/27368 acres for providing irrigation in villages Masudpur, Datta, Lohari Ragho, Haibatpur, Rakhi Shahpur, Rakhi Garhi, Gamra, Kheri Jalab, Kheri Lochab in Narnaund Constituency. Later on the shareholders demanded supply of Bhakra water also and accordingly during 1998-99 Masudpur Panihari Dy. from RD 0-25500 off-taking from RD 75000-L Barwala Branch was lined and further in the year 2005 it was extended from RD 25500 to 40000 and linked to Masudpur Dy at RD 70000-R and renaming it as "Masudpur Panihari Link Channel" from RD 0 to 71470. Resultantly the Masudpur Dy. was curtailed at RD 63350.The discharge of Masudpur Dy. was accordingly reduced to 90 Cs. with GA/CCA i.e. 16825/15605.

On the demand of Shareholders/Zamindars of 9 No. outlets, the scheme regarding extension of Masudpur Dy. from RD 63350 to 84000 was heard jointly by DCO/Hansi and DCO/Hisar under Haryana Canal and Drainage Act, 1974 on 11.2.2014 wherein it was observed that though adequate water is being supplied to the in question villages but irrigation of the area in question depends on tube well and water of the tube wells is salty and not fit for agriculture and thus to improve the irrigation through canal water, the scheme was approved. Subsequently, the Project Estimate for Extension of Masudpur Dy. from RD 63350 to RD 84000 was approved by the Standing Technical Committee of the department in its meeting held on 11.08.2014.

The administrative approval amounting to Rs. 933.00 lakh stands accorded by the Govt. vide memo No. 2/29/2016-11W dt. 16.05.2016 for Extension of Masudpur Dy. from RD 63350 to RD 84000. Accordingly the alignment was approved vide CE/BWS, I&WR Deptt. Panchkula letter No. 6132/5BWS/70/320 dated 4.10.2016. The capacity of above said extension channel is 8.64/11.23 cs. The area taken on the extension channel is 3567/3455 acres GA/CCA. The discharge at Head of Masudpur Dy thus comes out as 98.64/117.75 Cs. This discharge can easily pass through the existing section, but being more than 40 years old, its rehabilitation/remodeling is required besides strengthening. At present no proposal is there to rehabilitate and strengthen the Masudpur Dy. from RD 0-63350. After purchase of complete land for extension, the Project Estimate for rehabilitation of Masudpur Distributary from RD 0-63350 will be prepared and put up in the STC meeting of the deptt. and further action will accordingly be taken up.

For the proposed extension of Masudpur Dy. from RD 63350 to RD 84000, land measuring 19.18 acres is required to be purchased from the land owners in village Lohari Ragho and Tharwa as per "Land Purchase Policy" of Govt. of Haryana. The land measuring 17.24 acres of village Lohari Ragho @ 12.50 lacs/acre and 1.94 acre of village Tharwa @ Rs 12.30 lacs/acre had already been approved for purchase by the "High Powered Land Purchase Committee" under the chairmanship of Hon'ble Finance Minister on 22.11.2018. Out of above, 16.41 acre land of village Lohari Ragho and 1.80 acre land of village Tharwa already stands registered in the name of department. Only 0.97 acres of both villages is now left which is required to be purchased. Thus nearly 95 % land stands purchased and 05 % could not be purchased owing to the reasons like the land owners being minor, of very old age, living outside India, not ready to sell on approved rate etc. Govt. has accorded approval to make payment to the land owners which was earlier decided to be paid after complete land purchase. Accordingly, the process of executing mutation in the name of department will be processed shortly. Action has also been initiated to consolidate the balance 0.97 acre land with the already purchased 18.21 acre land under "The Haryana Consolidation of Project Land (Special provision) Act 2017, Section (4) & Section (5) and the process is likely to be completed within in 3 months. The work is likely to be started from Oct. 1st, 2021.

मसूदपुर रजबाहे का विस्तार

234. श्री राम कुमार गौतम, एम.एल.ए.: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या मसूदपुर रजबाहे का विस्तार, चौड़ा तथा सुदृढ़ीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं?

श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी, वर्तमान में मसूदपुर रजबाहा को बुर्जी संख्या 63350 से 84000 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा रजवाहे के सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करने के संबंध में यह बताया जाता है कि मौजूदा मसूदपुर रजबाहा बुर्जी संख्या 0 से 63350 विस्तार के साथ बढ़े हुए निष्कासन का निर्वहन कर सकता है, लेकिन 40 वर्ष से अधिक होने के कारण इसके पुनरोधार/पुनर्वास की आवश्यकता है।

अतिरिक्त सूचना विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या—234

मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 0 से 101470 जोकि हांसी ब्रांच (यमुना प्रणाली) की बुर्जी संख्या 235768—दाएं से निकलती है जिसको 1978—79 के दौरान 118 क्यूसिक निष्कासन व नारनौंद निर्वाचन क्षेत्र के गांव मसूदपुर, डाटा, लोहारी राघो, हैबतपुर, राखी शाहपुर, राखी गढ़ी, गामड़ा, खेडी जालब, खेड़ी लोचब में कुल कमान क्षेत्र / कृषि कमान क्षेत्र 29785 / 27368 एकड़ को सिंचित करने के लिए पक्का किया गया था। बाद में हितधारकों ने भाखड़ा के पानी की आपूर्ति की मांग की और तदानुसार 1998—99 के दौरान मसूदपुर पनिहारी रजबाहा की बुर्जी संख्या 0 से 25500 जोकि बरवाला ब्रांच की बुर्जी संख्या 75000—बांए से निकलती है, को पक्का किया गया और आगे 2005 में इसे बुर्जी संख्या 25500 से 40000 तक विस्तारित किया गया और मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 70000—दाएं से जोड़ा गया जिसका नाम "मसूदपुर रजबाहा पनिहारी लिंक चैनल" बुर्जी संख्या 0 से 71470 रख दिया गया। परिणामस्वरूप, मसूदपुर रजबाहा को बुर्जी संख्या 63350 तक घटा दिया गया। तदानुसार मसूदपुर रजबाहा का निष्कासन घट कर 90 क्यूसिक तथा कुल कमान / कृषि कमान क्षेत्र 16825 / 15605 हो गया।

9 मोगों के हितधारकों / जमींदारों की मांग पर, मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 63350 से 84000 तक के विस्तार की योजना को हिरयाणा नहर व जल निकासी अधिनियम, 1974 के तहत 11.02.2014 को मंडल नहर अधिकारी / हांसी और मंडल नहर अधिकारी / हिसार द्वारा संयुक्त रूप से सुना गया, जिसमें यह देखा गया कि यद्यपि प्रश्न में पूछे गए गांवों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा रही है परन्तु उस क्षेत्र में सिंचाई टयूबवैल्स पर निर्भर करती है और टयूबवैल्स का पानी खारा व कृषि के योग्य नहीं है इसलिए नहरी पानी से सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए योजना को मंजूरी दी गई। बाद में, मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 63350 से 84000 तक के विस्तार के परियोजना प्रांकलन को विभाग की स्थायी तकनीकी कमेटी की 11.08.2014 को हुई बैठक में स्वीकृति दी गई।

मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 63350 से 84000 तक विस्तार के लिए सरकार द्वारा मेमो नं 2/29/2016—1आईडब्ल्यू दिनांक 16.05.2016 से 933.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तदानुसार, संरेखण को मुख्य अभियंता/भाखडा जल सेवाएं, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या 6132/5बीडब्ल्यूएस/70/320 दिनांक 04.10.2016 द्वारा अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त विस्तार चैनल की क्षमता 8.64/11.23 क्यूसिक है। विस्तार चैनल पर लिया गया कुल कमान/कृषि कमान क्षेत्र 3567/3455 एकड़ है। इस प्रकार मसूदपुर रजबाहा के हैड पर डिस्चार्ज 98.64/117.75 क्यूसिक हो जाता है। यह डिस्चार्ज आसानी से मौजूदा भाग के माध्यम से गुजर सकता है लेकिन 40 साल से अधिक पुराना होने के कारण इसकी मजबूतीकरण के साथ इसके पुनर्वास/पुनरोद्धार की आवश्यकता है। वर्तमान में मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 0 से 63350 तक के पुनर्वास और मजबूत करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बुर्जी संख्या 0—63350 से विस्तार के लिए पूरी जमीन खरीदने के बाद, मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या

0—63350 के पुनर्वास के लिए प्रोजेक्ट एस्टीमेट तैयार किया जाएगा और इसके निष्पादन के लिए एसटीसी (STC) की बैठक में रखा जाएगा और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मसूदपुर रजबाहा की बुर्जी संख्या 63350 से बुर्जी संख्या 84000 तक प्रस्तावित विस्तार के लिए, 19.18 एकड़ भूमि हरियाणा सरकार की "भूमि खरीद नीति" के अनुसार गांव लोहारी राघो और ठरवा में भूमि मालिकों से खरीदने की आवश्यकता है। 17.24 एकड़ भूमि गांव लोहारी राघो की 12.50 लाख प्रति एकड़ की दर से और 1.94 एकड़ गांव ठरवा की 12.30 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से "भूमि खरीद नीति" के तहत माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में "उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति" द्वारा 22.11.2018 को अनुमोदित कर दी गयी है। इसमे से, गांव लोहारी राघो की 16.41 एकड़ और 1.94 एकड़ गांव ठरवा में से 1.80 एकड़ जमीन सिंचाई और जल संसाधन विभाग के नाम पंजीकृत है। केवल 0.97 एकड़ जमीन दोनो गांव से बची है जिसे खरीदने की जरूरत है। लगभग 95 प्रतिशत भूमि खरीद ली गयी है और 5 प्रतिशत विभिन्न कारणो की वजह से जैसे कि भूमि मालिक नाबालिग, ज्यादा आयु का, भारत से बाहर रह रहा, सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ना बेचने को तैयार आदि हैं। सरकार द्वारा भूमि मालिकों को भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दी गई है जिसका भुगतान पूर्ण भूमि खरीद के बाद तय किया गया था और विभाग के नाम पर मयूटेशन को निष्पादित करने की प्रक्रिया को संसाधित जल्द किया जाएगा। इसके अलावा पहले से ही खरीदी गई 18.21 एकड भूमि के साथ 0.97 एकड़ भूमि को हरियाणा भूमि परियोजना समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2017, धारा (4) और अनुभाग (5) के अनुसार समेकित किया जा रहा है और प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी होने की संभावना है। कार्य 1 अक्तूबर 2021 से शुरू होने की संभावना है।